"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2012—श्रावण 26, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्रमांक ई-1-2/2012/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-7-2012 के द्वारा श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (सीजी:2005) को संचालक, उद्योग एवं पदेन उप सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.

2. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (सीजी:1992) सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग तथा आयुक्त उद्योग केवल आयुक्त, उद्योग के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-18/दो/गृह/परीक्षा/2012.—वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया प्रश्नपत्र-1" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	प्राप्तांक (4)
1.	श्री गोविन्द सिंह	वन क्षेत्रपाल	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-21/गृह-दो/परीक्षा/2012.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व भू-अभिलेख विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "सिविल विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री धनऊराम भूआर्य	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री किशोर चन्द्र जोशी	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री सुनील चंद्र आचार्य	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-36/गृह-दो/परीक्षा/2012.—जनसम्पर्क विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	~~श्री साधराम लहरे~~	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री मुन्नालाल चौधरी	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री अटलबिहारी काशी	सहा. जन. अधिकारी	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-45/दो-गृह/परीक्षा/2012.—सभी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 16 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "हिन्दी" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अंबिकापुर)

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री मणिवासगन एस	भा.व.से.	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-47/गृह-दो/परीक्षा/2012.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र-2 "भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा" (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री निर्मला मौर्या	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री शेखरचंद देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-48/गृह-दो/परीक्षा/2012.—ऊर्जा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र Electrical installation-paper-III (Without Books) विद्युत संस्थापनायें विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री शेखरचंद देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 9-51/दो-गृह/परीक्षा/2012.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र Insulation Co-Ordination & Hazardous Area (Without Books) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री, उप अभियंता एवं पर्यवेक्षकों के लिये सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री बंशीलाल कुंजाम	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 3 मई 2012

क्रमांक एफ 9-33/गृह-दो/परीक्षा/2012.—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र "लेखा" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री दिनेश कुमार तिवारी	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री संतोष श्रीवास्तव	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 3 मई 2012

क्रमांक एफ 9-40/गृह-दो/परीक्षा/2012.—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र "छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास विभाग-द्वितीय प्रश्न" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री साधराम लहरे	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री मुन्नालाल चौधरी	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री अटलबिहारी काशी	सहा. जन. अधिकारी	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 3 मई 2012

क्रमांक एफ 9-44/गृह-दो/परीक्षा/2012.—जनसम्पर्क विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र "अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास प्रश्नपत्र तृतीय" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री साधराम लहरे	सहा. जन. अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
2.	श्री मुन्नालाल चौधरी	सहा. जन. अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री अटलबिहारी काशी	सहा. जन. अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 3 मई 2012

क्रमांक एफ 9-46/गृह-दो/परीक्षा/2012.—ऊर्जा विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र विद्युत संबंधी विधियां विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री सुरेश कुमार साहू	उप अभियंता	उत्तीर्ण
2.	श्री शेखरचंद देवांगन	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 3 मई 2012

क्रमांक एफ 9-50/गृह-दो/परीक्षा/2012.—ऊर्जा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र-5 ऊर्जा विभाग के प्रश्नपत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री बंशीलाल कुंजाम	उप अभियंता	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक एफ 9-09/गृह-दो/परीक्षा/2012.—आदिमजाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र "प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया" प्रथम प्रश्नपत्र भाग-ए एवं द्वितीय प्रश्नपत्र में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री नान साय मिंज	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक एफ 9-09/गृह-दो/परीक्षा/2012.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 10 एवं 11 जनवरी, 2012 को प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्न पत्र भाग बी एवं सी (बिना पुस्तकों) द्वितीय प्रश्न पत्र (पुस्तकों सहित) तृतीय प्रश्न पत्र (आदेश का लिखा जाना) में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. निम्नांकित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्र में अपेक्षित स्तर अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप आगामी परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर संभाग (जगदलपुर)

क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	सभी प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौरभ कुमार	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री तांबोली अय्याज फकीरभाई	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री किशोर चन्द्र जोशी	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री सुशील कुमार पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री महेन्द्र सिंह साहू	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री सुनील चन्द्र आचार्य	राजस्व निरीक्षक	द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री अर्जुन कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
8.	श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा संभाग (अंबिकापुर)		
9.	श्री शंकर लाल सिन्हा	नायब तहसीलदार	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण तृतीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक एफ 9-28/गृह-दो/परीक्षा/2012.—सामान्य प्रशासन एवं राजस्व विभाग के सहायक जिलाध्यक्षकों, उप जिलाध्यक्षकों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं भू-अभिलेख के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 12 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र "लेखा" प्रथम (बिना पुस्तकों के) द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री रानू साहू	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	डॉ. तांबोली अय्याज फकीरभाई	सहायक कलेक्टर	प्रथम में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री सारांश मित्तर	सहायक कलेक्टर	प्रथम में सश्रेय से उत्तीर्ण
4.	श्री किशोर चन्द्र जोशी	राजस्व निरीक्षक	प्रथम एवं द्वितीय में निम्नस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री सुनील चन्द्र आचार्य	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री अर्जुन कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
8.	श्री शंकर लाल सिन्हा	नायब तहसीलदार	प्रथम में निम्नस्तर से उत्तीर्ण द्वितीय में उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 20 जून 2012

क्रमांक एफ 9-37/गृह-दो/परीक्षा/2012.—पशु चिकित्सा विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2012 को प्रश्नपत्र "लेखा" प्रथम प्रश्नपत्र (बिना पुस्तकों) के द्वितीय प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्रमांक (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. श्रीमती हीरा अमित मिरी	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
2.	डॉ. जैनेन्द्र कुमार सुर्यवंशी	पशु चिकित्सा सहा. शल्य	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 मई 2012

क्रमांक एफ 9-04/गृह-दो/परीक्षा/2012.—वाणिज्यिक कर विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "विधि एवं प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित केवल अधिनियम) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री प्रशांत कुमार कोमिया	वाणिज्यिक कर निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2012

क्रमांक एफ 9-06/गृह-दो/परीक्षा/2012.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी, 2012 को दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय प्रश्न पत्र दाण्डिक मामले में आदेश/निर्णय का लिखा जाना विषय में सम्पन्न हुई थी, में निम्नांकित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	सुश्री सतरूपा साहू	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री किशोर चन्द्र जोशी	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
3.	श्री सुनील चन्द्र आचार्य	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री अर्जुन कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
5.	श्री दिवाकर प्रसाद पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2012

क्रमांक एफ 9-17/गृह-दो/परीक्षा/2012.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "वन विधि" प्रश्नपत्र-1 (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री प्रेमलता यादव	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री सत्यदेव शर्मा	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	सुश्री शमा फारूकी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री विवेकानन्द झा	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
5.	सुश्री सलमा फारूकी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
6.	श्री अशोक कुमार सोनवानी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
7.	श्री रामकुमार कुजूर	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
8.	श्री सुदर्शन चन्द्रवंशी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
9.	श्री जे. आर. राठिया	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
10.	श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
11.	श्री अशोक कुमार पटेल	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
12.	सुश्री दिव्या गौतम	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
13.	श्री मयंक पाण्डेय	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
14.	श्री मणिवासगन एस	भा.व.से.	उत्तीर्ण
15.	श्री लोकनाथ पटेल	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2012

क्रमांक एफ 9-23/गृह-दो/परीक्षा/2012.—वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 11 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "सामान्य विधि प्रश्नपत्र-2" (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	सुश्री प्रेमलता यादव	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
2.	श्री सत्यदेव शर्मा	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	श्री चूणामणि सिंह	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
4.	सुश्री शमा फारूकी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बिलासपुर		
5.	सुश्री सलमा फारूकी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
6.	श्री विवेकानन्द झा	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
7.	श्री अशोक कुमार सोनवानी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री रामकुमार कुजूर	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
9.	श्री जे. आर. राठिया	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
10.	श्री जितेन्द्र कुमार उपाध्याय	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
11.	श्री अशोक कुमार पटेल	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
12.	सुश्री दिव्या गौतम	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
13.	श्री संजय कुमार यादव	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
14.	श्री लोकनाथ पटेल	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 7 मई 2012

क्रमांक एफ 9-52/गृह-दो/परीक्षा/2012.—सहा. कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री तिलकराम यदु	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)		
2.	डॉ. तांबोली अय्याज फकीरभाई	सहायक कलेक्टर	सश्रेय से उत्तीर्ण
3.	श्री सौरभ कुमार	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
4.	श्री पी. आर. साहू	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	सश्रेय से उत्तीर्ण
5.	श्री किशोर चन्द्र जोशी	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
6.	श्री सुनील चन्द्र आचार्य	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
7.	श्री महेन्द्र सिंह साहू	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
8.	श्री सुरेन्द्र नाथ जॉन	राजस्व निरीक्षक	सश्रेय से उत्तीर्ण
9.	श्री धनऊराम भूआर्य	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
10.	श्री सुशील कुमार पाण्डे	राजस्व निरीक्षक	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
	परीक्षा केन्द्र सरगुजा (अम्बिकापुर)		
11.	**श्री शंकरलाल सिन्हा**	**नायब तहसीलदार**	**उच्चस्तर से उत्तीर्ण**

रायपुर, दिनांक 10 मई 2012

क्रमांक एफ 9-01/गृह-दो/परीक्षा/2012.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री सौमिल रंजन चौबे	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर से उत्तीर्ण
परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)			
2.	श्री अर्जुन कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 10 मई 2012

क्रमांक एफ 9-02/गृह-दो/परीक्षा/2012.—पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 09 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया" (पुस्तकों सहित-टिप्पणी रहित केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोपित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

स. क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री कृष्ण प्रकाश शर्मा	रिकार्ड कोपर	निम्नस्तर से उत्तीर्ण
2.	श्री भेनानसियुस मिंज	उच्चश्रेणी पंजीयन लिपिक	सश्रेय से उत्तीर्ण
परीक्षा केन्द्र बिलासपुर			
3.	श्री विलियम एक्का	पंजीयन लिपिक	निम्नस्तर से उत्तीर्ण

रायपुर, दिनांक 10 मई 2012

क्रमांक एफ 9-43/गृह-दो/परीक्षा/2012.—वन विभाग के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 जनवरी, 2012 को प्रश्न पत्र "प्रक्रिया तथा लेखा" प्रश्नपत्र-3 (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोपित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र रायपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	परीक्षाफल (4)
1.	श्री सत्यदेव शर्मा	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री विवेकानन्द झा	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
3.	सुश्री सलमा फारूकी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
		परीक्षा केन्द्र बस्तर (जगदलपुर)	
4.	श्री अशोक कुमार सोनवानी	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
5.	श्री रामकुमार कुजूर	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
6.	श्री जे. आर. राठिया	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण
7.	सुश्री दिव्या गौतम	सहायक वन संरक्षक	उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. एस. केन, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2012

क्रमांक-एफ 7-28/2012/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुलमुला, निवेश क्षेत्र, जिला जांजगीर-चांपा का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

मुलमुला, निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम आरसमेटा, गोंदाडीह, अमोरा एवं नरियरा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

पूर्व में : ग्राम नरियरा, झिलमिला, झिलमिली एवं भैसों ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

दक्षिण में : ग्राम भैसों एवं कोसा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

पश्चिम में : ग्राम कोसा, कोनार एवं आरसमेटा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 11-2/2012/16.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (केन्द्रीय अधिनियम 1996 की संख्या 27) की धारा 62 एवं 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति की परामर्श पश्चात्, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है. यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् दिनांक 08 मई 2008 से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 272 के उपनियम (2) में, शब्द "पच्चीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "तीन वर्ष के लिए एक रु." प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 272 के उपनियम (7) में, शब्द "पच्चीस रुपये" के स्थान पर, शब्द "दस रु." प्रतिस्थापित किया जाये.

3. नियम 277 के उपनियम (1) की सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"सारणी"

प्रसुविधाएं तथा सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलाप

स. क्र.	प्रसुविधा	न्यूनतम वर्षों की संख्या, जिसके लिए किसी हिताधिकारी द्वारा प्रसुविधा हेतु पात्र होने के लिए निधि में अंशदान किया हुआ होना चाहिए
(1)	(2)	(3)
1.	**पेंशन**	
	1.1 वृद्धावस्था पेंशन	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	1.2 परिवार पेंशन	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	1.3 नि:शक्तता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
2.	**गृह निर्माण सहायता**	
	2.1 मकान के क्रय या निर्माण के लिए ऋण	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	2.2 किसी गृह निर्माण हेतु वित्तीय संस्था से लिए गए गृह निर्माण ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी.	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
3.	**शिक्षा सहायता**	
	3.1 छात्रवृत्ति	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	3.2 शिक्षा ऋण	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	3.3 किसी वित्तीय संस्था से लिए गए शिक्षा ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी.	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
	3.4 मेधावी छात्रों को नगद पुरस्कार	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
4.	**आय संवर्धन के लिए सहायता**	
	4.1 औजारों तथा छोटी मशीनों के क्रय हेतु ऋण	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा

(1)	(2)	(3)
4.2	अनुपूरक आय अर्जित करने वाले क्रियाकलापों के लिए ब्याज सब्सिडी.	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
5.	विवाह सहायता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
6.	चिकित्सा सहायता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
7.	प्रसूति सहायता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
8.	**बीमा सहायता**	
8.1	समूह बीमा	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
8.2	बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए सहायता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
9.	**मृत्यु के मामले में सहायता**	
9.1	अंतिम संस्कार सहायता	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा
9.2	अनुग्रह राशि भुगतान	मंडल द्वारा यथा निर्धारित समय सीमा

No. F 11-2/2012/16.—In exercise of the powers conferred by Section 62 and 40 of the Building & Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditioons of Service) Act, 1996 (Central Act No. 27 of 1996), the State Government, after consultation with the Expert Committee, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Building and Other Construction Worker's (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008. This amendment shall come into force with retrospective effect i.e. from 8th May 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In sub-rule (2) of rule 272, for the words "Rs. Twenty five" the words "Rs. one for three years" shall be substituted.

2. In sub-rule (7) of rule 272, for the words "Rs. Twenty five" the words "Rupees Ten" shall be substituted.

3. For Table of sub-rule of rule 272, the following Table shall be substituted, namely :—

"TABLE"

Benefits and General Welfare Activities

S. No. (1)	Benefit (2)	Minimum number of years for which a beneficiary should have contributed the subscription for becoming eligible for the benefit (3)
1.	**Pension**	
1.1	Old Age Pension	Time limit as decided by Board
1.2	Family Pension	Time limit as decided by Board
1.3	Disability	Time limit as decided by Board
2.	**Assistance for Housing**	
2.1	Loan for Purchase or construction of House	Time limit as decided by Board

(1)	(2)		(3)
	2.2.	Interest Subsidy for Housing Loan, taken from a housing finance institution.	Time limit as decided by Board
3.	**Education Assistance**		
	3.1	Scholarship	Time limit as decided by Board
	3.2	Education Loan	Time limit as decided by Board
	3.3	Interest Subsidy for Education Loan taken from a financial institution.	Time limit as decided by Board
	3.4	Cash award to meritorious students	Time limit as decided by Board
4.	**Assistance for Income Augmentation**		
	4.1	Loan for purchase of Tools & Small machines	Time limit as decided by Board
	4.2	Interest subsidy for Supplementary Income generating activities.	Time limit as decided by Board
5.	Marriage Assistance		Time limit as decided by Board
6.	Medical Assistance		Time limit as decided by Board
7.	Maternity Assistance		Time limit as decided by Board
8.	**Insurance Assistance**		
	8.1	Group Insurance	Time limit as decided by Board
	8.2	Assistance for payment of Insurance Premium	Time limit as decided by Board
9.	**Assistance in Case of Death**		
	9.1	Funeral Assistance	Time limit as decided by Board
	9.2	Ex-gratia payment	Time limit as decided by Board

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 10-3/2009/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध (संशोधन) अधिनियम, 2000 (क्रमांक 16 सन् 2000) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन तिथि को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम (संशोधन) प्रवृत्त होगा.

No. F 10-3/2009/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of Chhattisgarh Audyogik Sambandh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (No. 16 of 2000) the State Government hereby (Act) appoints the date of publication of this notification in the official gazette as the date on which the said amendment shall come into force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 अप्रैल 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/11/267.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	पोंड़ीशंकर प.ह.नं. 21	0.304	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	पोंड़ीशंकर जैजैपुर मार्ग पर सोन नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	कोरबी	10.939	मुख्य महाप्रबंधक, एसईसीएल, चिरमिरी ऐरिया.	आवास गृह हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2010-2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	फूलसर	1.91	मुख्य महाप्रबंधक, एसईसीएल, चिरमिरी ऐरिया.	आवास गृह हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजपाल सिंह त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बलरामपुर, दिनांक 6 फरवरी 2012

रा. प्र. क्र. 03/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	सनावल	2.74	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, रामानुजगंज.	थाना परिसर एवं रैस्ट हाउस पहुंच मार्ग निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 6 फरवरी 2012

रा. प्र. क्र. 04/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	कामेश्वरनगर	0.04	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, रामानुजगंज.	सड़क निर्माण योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 6 फरवरी 2012

रा. प्र. क्र. 05/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर	रामानुजगंज	सनावल	0.63	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, रामानुजगंज.	हाई स्कूल खेल मैदान निर्माण योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, रामानुजगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 3 अगस्त 2012

क्रमांक 122/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वालोद	गुण्डरदेही	रौना प.ह.नं. 20	1.92	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोंहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. एल्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक 1722/वाचक-1/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सरईटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.033 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	543/2	0.154
	559/1	0.316
	545/2, 545/4	0.255
	559/2	0.235
	561/678	0.073
योग	5	1.033

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पहुंच मार्ग एवं ईब नदी पर सेतु निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
अंकित आनन्द, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्रमांक/6256/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-मौहाभांठा, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	150/3	0.14
	150/6	0.10
	·150/8	0.16
	150/5	0.02
	150/4	0.16
योग	5	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंडरिया जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्रमांक/6262/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-विचारपुर, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	192/2	0.40
योग	1	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंडरिया जलाशय के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्रमांक/6263/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कटली, प. ह. नं. 4/3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.11 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
376	0.10
554	0.09
558/3	0.03

(1)	(2)
558/2	0.25
559/3	0.03
379	0.17
556/1	0.17
570	0.03
566	0.17
565/1	0.27
552	0.16
558/1	0.17
563	0.21
567	0.19
564	0.07
योग 15	2.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बेलगांव माइनर नं. 1 के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जुलाई 2012

क्रमांक/6264/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रीवांगहन, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
185	0.12
184/2	0.07
184/1	0.06
183/1	0.12
183/2	0.25
209/1	0.08
209/3	0.07
209/2	0.07
206	0.07
207	0.09
योग 10	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रीवांगहन माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्रमांक/6375/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीभांठा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
139	0.016
योग 1	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्रमांक/6378/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सागर, प. ह. नं. 57
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	454/11	0.129
	36/2	0.016
योग	2	0.145

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा परियोजना के बायीं तट बीजेपार लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 जुलाई 2012

क्रमांक/6379/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-माहुद मचांदुर, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
537/3	0.040
401	0.073
93/1	0.053
82	0.085
59/8	0.049
68/4	0.117
267/4	0.061
541/5	0.004
59/6	0.065
292/1	0.004
556/2	0.032
365/4	0.073
119/1	0.057
264	0.121
113	0.032
111/3	0.040
395	0.045
277	0.016
310	0.053
286/1	0.053
57/2	0.057
396	0.028
358/1	0.032
68/3	0.242
268/3	0.040
268/1	0.117
59/4	0.004
56/3	0.085
59/1	0.077
59/7	0.081
266	0.028
560/3	0.109
267/1	0.045
402/1	0.040
402/2	0.036

	(1)	(2)
	400	0.020
	311/2	0.040
	293/1	0.117
	64/6	0.032
	558/1	0.012
	365	0.004
	278/2	0.004
	365/2	0.142
	538	0.040
	557	0.024
	286/5	0.162
	311/1	0.008
	125	0.073
	88	0.194
	121/1	0.117
	71/1	0.061
	278/1	0.004
	286/6	0.081
	365/1	0.053
	365/3	0.223
	294	0.045
	286/4	0.081
	58/2	0.142
	92/1	0.081
	111/1	0.053
	112/1	0.020
	116	0.057
	117	0.028
	111/2	0.004
	123	0.077
	126/1	0.032
	126/2	0.077
	358/2	0.093
	360	0.028
	312	0.008
	359	0.036
	316	0.036
	315/3	0.045
	399	0.053
	341/1	0.004
	341/2	0.008
	565/1	0.004
	565/4	0.081
	308/1	0.012
	539	0.032
	59/5	0.024
	403/2	0.016
	64/8	0.065
	540/1	0.045
	558/2	0.085
	89/1	0.016
	120/2	0.012
	120/4	0.069
	119/2	0.004
	89/2	0.004
	115/3	0.040
	115/4	0.036
	64/7	0.077
	307/1	0.004
	307/2	0.004
	279/1	0.198
	308/2	0.012
	555	0.089
योग	98	5.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोहड़ जलाशय परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तंर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आड़ावाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	496	0.04
	506	0.05
योग	2	0.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन, अधिकारी जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 1, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बिलोरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.90 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
891/2	0.08
887	1.25
8	0.45
5	0.01
7	0.31
1	0.30
2	0.47
3	0.39
10	1.07
11	0.09
22	0.21
14/1	0.20
15/2	0.12
151	0.02
80/2, 80/1	0.20
78/1	0.05
78/2	0.09
78/3	0.06
83	0.23
85	0.13
74	0.06
75	0.06
76	0.05
77	0.05
87	0.01
88	0.12
73	0.33
91	0.11
92	0.02
95	0.01
106	0.06
108	0.01
141	0.06
142	0.02
143	0.06
144	0.19
145	0.11
135	0.18
138	0.04
147	0.26
149	0.22
150	0.3
156	0.04
157/1	0.15
158	0.05
159	0.03
160	0.13
161	0.16

	(1)	(2)
	241/1	0.16
	242	0.05
	243	0.16
	244	0.10
	245	0.06
	246	0.01
	247	0.10
	248	0.08
	237	0.11
	238	0.13
	235	0.23
	251	0.01
	260	0.85
	15/1	0.05
	15/3	0.09
योग	64	10.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 1, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/9/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुसुमपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	111	0.17
योग	1	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 1, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/10/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कोरपाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.47 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20	0.68
23	0.99
34	0.06
62	0.03
65	1.00
67	0.04
72	1.35
73	1.01 1/2
77	0.92

(1)	(2)
79	0.24
80	1.08
81	0.10
82	0.01½
83	0.56
101	0.30
117	0.10
119	0.12
120	0.10
125	0.02
146	0.51
147	0.05
150	0.52
151	0.11
152	0.48
158	0.05
260	0.05
योग 26	9.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 1, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/11/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-नियानार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.23 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
207	0.19
209/1	0.38
208	0.26
222	0.13
223	0.10
224	0.09
225	0.36
226	0.52
248	0.30
229	0.02
234/1	0.11
234/2	0.10
234/3	0.04
236	0.40
435	0.55
239	0.07
240	0.06
241	0.02
245	0.20
704	0.35
246	0.26
247	0.20
282	0.72
359	0.23
412	0.30
413	0.06
427	0.16
425	0.09
702	0.10
426	0.10
432	0.39
436	0.10
438	0.05
598	0.15
599	1.20
600	0.35
601	0.40
608	0.28
609	1.06
612	0.08
615	0.07
622	0.08
624/2	**0.30**
624/3	**0.50**
634	**0.05**

(1)	(2)
635	0.08
701	0.16
751	0.09
736	0.10
741	0.16
817	0.14
745/2	0.18
764	0.38
747	0.16
749	0.34
752	0.33
753/1, 753/3	0.23
763	0.04
816	0.12
745/1	0.10
818	0.08
754	0.01
योग 62	14.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-जगदलपुर बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 1, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 जुलाई 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-तोकापाल
- (ग) नगर/ग्राम-बड़े पाराकोट, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.41 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
181	0.02
183	0.15
170	0.04
184	0.20
योग 4	0.41

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-सोसनपाल-बड़े पाराकोट मार्ग के 1/8 कि.मी. कोयर नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) उप संभाग जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-तोकापाल
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे मोरठपाल, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.15
योग 1	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भड़ीसगांव-मोरठपाल मार्ग के 3/4 कि.मी. पर कोयर नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) उप संभाग जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 26 जुलाई 2012

क्रमांक/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-तोकापाल
- (ग) नगर/ग्राम-भड़ीसगांव, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	445	0.04
	446	0.04
	448	0.09
	449	0.11
योग	4	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-भड़ीसगांव-मोरठपाल मार्ग के 3/4 कि.मी. पर कोयर नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, तोकापाल अथवा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) उप संभाग जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्रमांक 21/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लिम्ही, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.17 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	46/1	0.07
	46/3	0.07
	46/5	0.03
योग	3	0.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवकश्यकता है-पिपरहट्टा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय, परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 29/चार/निरर्हित/2008-12/604.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेश संख्या-76/छ.ग.-लो.स./2009, दिनांक 09 अप्रैल, 2012 लोकसभा साधारण निर्वाचन-2009 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित सूची सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल, 2012—20 चैत्र, 1934 (शक)

सं. 76/छ.ग.-लो.स./2009.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2009 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/अथवा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है.

सारणी

क्रम संख्या (1)	निर्वाचन का विवरण (2)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (3)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता (4)	निरर्हता का कारण (5)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2009	2-रायगढ़ (अ.ज.जा.)	शिराचंद एक्का, ग्राम-राजापुर पोस्ट-जामकानी, तहसील-मैनपाट जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	—वही—	—वही—	संजय तिर्की, ग्राम-मुड़ापारा, पोस्ट-पाकरगांव, तहसील-पत्थलगांव जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2009	4-कोरबा	गेंद दास मंहत, काशीनगर, कोरबा, वार्ड क्र. 16, म.नं. 105/क, तह. व जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
4.	—वही—	—वही—	सतरूपा, जी 19 नर्मदा नगर, असिंदा, तह. खंडवा, जिला-खंडवा, म. प्र.	—वही—
5.	—वही—	5-बिलासपुर	उमेश सिंह, 30/145, फजलबाड़ा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
6.	—वही—	—वही—	दिलीप सिंह, ग्राम-किरारी, पो.-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	—वही—	मनोज कुमार बिरको, ग्राम-सिलदहा काल्हामार, तहसील-कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
8.	—वही—	6-राजनांदगांव	प्रद्युमन नेताम, ग्राम-सिंघाभेड़ी, पो.-आगाटोला, तह.-अम्बागढ़ चौकी, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़.	—वही—
9.	—वही—	—वही—	गंगाराम निषाद, बुधवारी पारा, वार्ड नं. 13, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़.	—वही—
10.	—वही—	—वही—	अजय जायसवाल, वार्ड नं. 26 कसाईपारा, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़.	—वही—
11.	—वही—	—वही—	जलाल मोहम्मद कुरैशी, पावर हाउस रोड, रामनगर, वार्ड नं. 27, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़.	—वही—
12.	—वही—	—वही—	डेरहाराम लोधी, ग्राम हरडुवा, पो.-घुमका, तहसील व जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़.	—वही—
13.	—वही—	—वही—	भागचन्द वैद्य, वार्ड नं. 12, बुधवारी पारा, डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव, छत्तीसगढ़.	—वही—
14.	—वही—	7-दुर्ग	डॉ. पंकज गोस्वामी (पंडित), एकता नगर, चांदनी चौक, जोन-3, खुर्सीपार, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़.	—वही—
15.	—वही—	8-रायपुर	मथुरा प्रसाद टण्डन, तान्दुल पो.आ. पलौद, तह. आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	छत्तीसगढ़ राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2009	8-रायपुर	हैदर भाटी, 38/262, नेहरू नगर, थाना कोतवाली रायपुर, छत्तीसगढ़	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
17.	—वही—	10-बस्तर (अ.ज.जा.)	चन्द्र शेखर ध्रुव (शेखर), सी.एस.ई.बी. कालोनी गेट के पास, गीदम रोड, जगदलपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

हस्ता./-
(हरबंस सिंह)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 9th April, 2012—20 Chaitra, 1934 (Saka)

No. 76/CG-HP/2009.— Order Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2009 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No. (1)	Particulars of election (2)	Number & Name of the Constituency (3)	Name & Address of the Candidate (4)	Reason of disqualification (5)
1.	**General Election to the House of the People, 2009, from the State of Chhattisgarh.**	**2-Raigarh (ST)**	**Sh. Shirachand Ekka, Village-Rajapur, Post-Jamkani, Tahsil-Mainpot, Distt.-Sarguja, Chhattisgarh.**	**Failure to lodge any account of election expenses.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	General Election to the House of the People, 2009 from the State of Chhattisgarh.	2-Raigarh (ST)	Sanjay Trikey, Village-Mudapara, Post-Pakergaon, Tahsil-Pathalgaon, Distt.-Jashpur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.
3.	—do—	4-Korba	Gend Das Mahant, Kashi Nagar, Korba, Ward No. 16, H. No. 105/K, Teh.+ Distt.-Korba, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	—do—	Satrupa, G-19, Narmada Nagar, Asinda, Teh.-Khandwa, Distt.-Khandwa (MP)	—do—
5.	—do—	5-Bilaspur	Umesh Singh, 30/145, Fazal Bada, Bilaspur, Chhattisgarh.	—do—
6.	—do—	—do—	Dilip Singh, Village-Kirari, P.O. Masture Distt.-Bilaspur, Chhattisgarh.	—do—
7.	—do—	—do—	Manoj Kumar Birko, Village-Sildaha (Kalhamar) Tahsil-Kota, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	6-Rajnandgaon	Pradhuman Netam, Village-Singhabhedi P. O. Amatola, Tah.-Ambagarh Chowki, Distt.-Rajnandgaon, Chhattisgarh.	—do—
9.	—do—	—do—	Gangaram Nishad, Budhwari Para, Ward No. 13, Dongargarh, Distt.-Rajnandgaon, Chhattisgarh.	—do—
10.	—do—	—do—	Ajay Jaiswal, Ward No. 26, Kasai Para, Rajnandgaon, Chhattisgarh.	—do—
11.	—do—	—do—	Jalal Mohammad Qureshi, Power House Road, Ramnagar, Ward No. 27, Rajnandgaon, Chhattisgarh.	—do—
12.	—do—	—do—	Derha Ram Lodhi, Village-Harduva, P.O. Ghumka, Tah. & Distt.-Rajnandgaon, Chhattisgarh	—do—
13.	—do—	—do—	Bhag Chand Vaidhya, Ward No. 12, Budhvari Para, Dongargarh, Distt.-Rajnandgaon, Chhattisgarh.	—do—
14.	—do—	7-Durg	Dr. Pankaj Gosomi (Pandit) Ekta Nagar Chendni Chowk, Zone-3 Khurshipar Bhilai, Distt.-Durg, Chhattisgarh.	—do—
15.	—do—	8-Raipur	Mathura Prasad Tandon, Tandul, P.O.-Paloud, Tahsil- Arang, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
16.	—do—	—do—	Haidar Bhati, 38/262, Nehru Nagar, P. S. Kotwali, Raipur, Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17.	General Election to the House of the People, 2009 from the State of Chhattisgarh.	10-Bastar (ST)	Chandra Shekhar Dhruv (Shekhar) Near C.S.E.B. Colony Gate, Geedam Road, Jagdalpur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses.

By order,

Sd/-
(Harbans Singh)
Secretary,
Election Commission of India.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2012

क्र. 29/चार/निरर्हित/2008-12/606.—भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेश संख्या-76/छ.ग.-वि.स./2011, दिनांक 09 अप्रैल, 2012 विधानसभा साधारण निर्वाचन-2008 के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित सूची सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001

नई दिल्ली, तारीख 9 अप्रैल, 2012—20 चैत्र, 1934 (शक)

सं. 76/छ.ग.-वि.स./2011.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2008 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/अथवा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यत: उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए

इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है.

सारणी

क्रम संख्या (1)	निर्वाचन का विवरण (2)	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम (3)	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता (4)	निरर्हता का कारण (5)
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2008	44-कसडोल	योगेन्द्र पाल राज उर्फ राजू, ग्राम-सुनसुनिया, पो.-सिरियाडीह, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	—वही—	—वही—	दीपक अग्रवाल, ब्राम्हण पारा वार्ड क्र. 10, कसडोल, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
3.	—वही—	—वही—	गोपाल दिवाकर, ग्राम डोगरीडीह, पो.-लवन, तह.-बलौदाबाजार, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	—वही—	विवेक दास गुरू, ग्राम पो.-भण्डारपुरी तह.-आरंग, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
5.	—वही—	—वही—	हेमचंद धृतलहरे, ग्राम-गबौद, पो.-सुन्दरावन, तह.-पलारी, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
6.	—वही—	52-आरंग (अ.जा.)	राजेश टंडन, ग्राम-छतौना, पो. व थाना - मंदिरहसौद, तह. आरंग, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	54-राजिम	कुमालता साहू, सुशील महंत गुरुद्वारा के सामने श्यामनगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

हस्ता./-

(हरबंस सिंह)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 9th April, 2012—20 Chaitra, 1934 (Saka)

No. 76/CG H-LA/2011.— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2008 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all required by the Representation of the People Act, 1951,

and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order :—

TABLE

Sl. No. (1)	Particulars of election (2)	Number & Name of the Constituency (3)	Name & Address of the Candidate (4)	Reason of disqualification (5).
1.	General Election to the Legislative Assembly 2008 from the State of Chhattisgarh.	44-Kasdol	Yogendra Pal Raj Urf Raju, Village-Sunsuniya, Post-Siriyadih, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses,
2.	—do—	—do—	Deepak Agrawal, Bramhan Para, Ward No. 10, Kasdol, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	—do—	Gopal Diwakar, Village-Dongaridih, Post-Lawan, Tahsil-Balodabazar, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	—do—	Vivek Das Guru, Village-Post-Bhandarpuri, Tahsil-Arang, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	—do—	Hemchand Dhritlahare, Village-Gaboud, Post-Sundarawan, Tahsil-Palari, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
6.	—do—	52-Arang (SC)	Rajesh Tandan, Village-Chhatauna Post & Thana-Mandirhasaud, Tahsil-Arang, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
7.	—do—	54-Rajim	Smt. Kumalata Sahu, C/o Sushil Mahant, Gurudwara Ke Samne Syanager Raipur, Chhattisgarh.	—do—

By order,

Sd/-
(Harbans Singh)
Secretary,
Election Commission of India.